कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 837/2022/10-11 / 1467 भोपाल, दिनांक 16/05/2025

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– वन मंडल रीवा के वन कक्ष PF-399 के रकबा 2.21 हे. वनभूमि में सेंड पत्थर (क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बावत ऑनलाईन प्रस्ताव क्र.FP/MP/MIN/152429/2022

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 02.04.2025

---0---

विषयांकित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 15 बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	The State Govt. shall clarify whether the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh is still valid as on date or otherwise.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा कलेक्टर, खनिज शाखा जिला रीवा / मऊगंज की सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 31.01.2026 तक वैध है। छायाप्रति संलग्न है।
2	Details of mineral evacuation plan and how the requirements of electricity and water will be met shall be submitted. The detail of additional forest land (if any) required for the purpose shall also be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा जानकारी प्रस्तुत की है कि खनिज निकासी का कार्य यांत्रिकीय विधि से किया जावेगा, खनिज उत्खनन हेतु बिजली की आवश्यकता नगन्य है एवं पानी की पूर्ति हेतु टैंकर के माध्यम से की जावेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
3	The user agency in Part-I form reported that the Project does not requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 (Environmental clearance) whereas the instant project is for mining. A clarification in this regard needs submission.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण से रोकथाम हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा। KML फाईल में उक्त क्षेत्र को दर्शाया गया है एवं धूल की रोकथाम हेतु समय–समय पर पानी का छिड़काव टैंकरों द्वारा किया जावेगा। साथ ही जल की निकासी नहीं की जावेगी, जिस कारण से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4	The instant mine has been proposed to be worked upon by mechanized mining with implementation of Open-cast technology. Therefore, the status of muck disposal plan shall be submitted along with relevant details.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया है कि परियोजना से निकला हुआ मलबा को निजी भूमि क्रय कर राजस्व क्षेत्र में डम्प किया जावेगा। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त वनक्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जावेगा।

5	Complete copy of an approved mining plan needs submission. The State Govt. shall also ensure that the land-use as proposed in the proposal shall invariably commensurate with the land-use as given in the approved mining plan. A comparative analysis shall be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र में खनन का कार्य माइनिंग प्लान अनुसार किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
6	The State Govt. has not informed as to how much area of the proposed NFL (village wise/ patch wise) for raising compensatory afforestation is having specified density as per the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. Moreover, the State shall also ensure that the area (NFL) proposed for CA is suitable for raising Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 and the crop improvement programme of the forest crop in the NFL proposed for CA shall be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम–13 के अनुसार ग्राम सरदमन में एक ही पैच में 2.21 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसका घनत्व 0.2 है एवं प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि एवं डबल डिग्रेटेड वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भी प्रस्तावित है।
7	Para 2, Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 says that "Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account". Keeping this in view, the KML file of the Degraded forest land which is twice in size of such shortfall in the compensatory afforestation land needs to be submitted (if applicable) along with Maps, CA scheme, Site suitability certificate etc.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम–13 के पैरा 2 अनुसार प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की जानकारी KML फाईल, जियो रिफरेंश सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर द्वारा तैयार कर अपलोड कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है। साथ ही वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली द्वारा दुगने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर प्रस्तुत की गई है। छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
8	The number of project affected trees need to be reconfirmed by the State. It may also be clarified whether the tree enumerations have been done as per actual standing trees on ground or through sampling method or by adopting any other method.	इस बिन्दु के संबंध में वनमण्डल, रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 में प्रस्तावित क्षेत्र 2.21 हेक्टेयर भूमि को मौके से जाकर गणना की गई है। गणना पत्रक अनुसार 27 नग अन्य प्रजाति के वृक्ष मौके पर मौजूद है। छायाप्रति संलग्न है।
9	The State Govt. in the Part-II form reported that the proposed forest land is not prone to soil erosion whereas as depicted through satellite imagery the lease is situated at hilly terrain. Therefore, factual details in this regard needs submission along with the mitigation plan/ Soil Erosion Treatment Plan duly approved by the DCF concerned to choke the soil erosion.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि प्रस्तावित क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र होने के कारण मिट्टी का कटाव होना असम्भव है। इसके उपरांत भी आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

10	The forest land proposed for diversion is located in Rewa District whereas the land proposed CA has been proposed in the Sagar District. Thus, the land for diversion is situated at an aerial distance of approximately 348 Km away from the land for CA. The State Govt. shall ensure that whether the Para 2.2 (xiii) of Chapter-2 given in the consolidated Handbook of Guidelines issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardha) Rules-2023 has been followed while selecting the land proposed for CA or otherwise.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि वनमण्डल, दक्षिण सागर में प्रदाय की गई है एवं डबल डिग्रेटेड वैकल्पिक वनमण्डल, सिंगरौली में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।
11	The KML files indicating the different components of the projects like safety zone/ Green belt, Infrastructure, OB dump etc shall be submitted along with land use map. The component wise details of the proposed forest land shall also be updated on the PARIVESH portal.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन/ग्रीन बेल्ट 7.5 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ तैयार किया जाएगा, जिसे KML फाईल में दर्शाया गया है। (मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है) जैसी बुनियादी ढांचे संबंधी जानकारी ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में दर्ज कर दी गई है।
12	DSS analysis revealed that the user agency has uploaded incorrect KML file of the Non-forest land proposed for CA because the part of the proposed CA land is partly falling in forest compartment. Further, a transmission line is crossing the CA land at PF-603	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि की संशोधित KML फाईल ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
13	DSS analysis revealed that the an area of 0.0136 ha forest land proposed for Approach Access has been found broken as depicted through historical data available on the Google imagery.This needs clarification.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वनभूमि में प्रस्ताव में संशोधन कर KML फाईल ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
14	The APCCF & Nodal officer, Govt. of Madhya Pradesh in their covering letter reported that the instant proposal is for establishment of crushing plant instead of mining. This needs clarification. The State shall also ensure that the forest land cannot be diverted for any non-site specific activities	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान से वचन पत्र प्राप्त किया गया है, जिसमें आवेदक संस्था ने लेख किया है कि प्रभावित वनभूमि में केवल खनन का कार्य ही किया जावेगा, अन्य कोई गतिविधि नहीं की जावेगी, जिसके पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
15	The State Govt. recommended the proposal for diversion of 2.21 ha forest land whereas the user agency has submitted component wise break-up details of 2.2236 ha forest land. Further, the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh reveals that the project involves 3.4 ha area out of which 2.80 ha is forest land. The complete proposal along with convincing justification in this regard needs submission. The corresponding area details shall also be updated on PARIVESH along with maps, KML files etc.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि प्रकरण में प्रस्तावित वनभूमि 3.4 हेक्टेयर का आवेदन किया गया था, जिसमें तत्समय जॉच उपरांत 2.80 हेक्टेयर वनभूमि पाई गई थी। दिनांक 31.07.2022 को पुनः प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पर मौके पर उपलब्ध भूमि 2.21 हेक्टेयर ही पाई गई है। 2.21 हेक्टेयर की संशोधित KML फाईल/मौका पंचनामा की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्रदान कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

16.05.25

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–1 / 837/2022/10-11 / 1468 भोपाल, दिनांक 16/05/2025

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश ।

2 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश।

3 श्री ललित पंघाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975 / 76, सेक्टर 13 हुद्‌दा भिवानी, हरियाणा ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

16.05.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा0 रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 299135

क्रमांक / मा.चि. / 2406 रीवा, दिनांक 15.05.2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू–प्रबंध)
वन भवन तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषयः– वन मण्डल रीवा के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 के रकवा 2.21 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स हुड्डा भिवानी हरियाणा को उपयोग पर देने बावत् ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP / MP / MIN / 152429 / 2022

संदर्भः– 1. आपका पत्र क्रमांक / एफ–1 / 835 / 2022 / 10–11 / 1147 दिनांक 08.04.2025

2. श्री ललित पंघाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन हाउस का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 15.05.2025

––00––

विषयांतर्गत अनुरोध है कि संदर्भित पत्र से प्रकरण के संबंध बिन्दुवार जानकारी चाही गई है, जिसमें आवेदक संस्थान द्वारा उक्त बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	The State Govt. shall clarify whether the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh is still valid as on date or otherwise.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया है कि कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा / मऊगंज के पत्र क्रमांक / 307 / खनिज / 2024 दिनांक 20.11.2024 से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसकी अवधि 31.01.2026 तक वैध है। छायाप्रति संलग्न है।
2	Details of mineral evacuation plan and how the requirements of electricity and water will be met shall be submitted. The detail of additional forest land (if any) required for the purpose shall also be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया है कि खनिज निकासी का कार्य यांत्रिकीय विधि से किया जावेगा, खनिज उत्खनन हेतु बिजली की आवश्यकता नगन्य है एवं पानी की पूर्ति हेतु टैंकर के माध्यम से की जावेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
3	The user agency in Part-I form reported that the Project aoes not requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 (Environmental clearance) whereas the instant project is for mining. A clarification in this regard needs submission.	आवेदक संस्थान द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण से रोकथमन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा, के.एम.एल. फाइल में उक्त क्षेत्र को दर्शाया गया है, एवं धूल की रोकथाम हेतु समय–समय पर पानी का छिड़काव टंकरों द्वारा किया जावेगा। साथ ही जल की निकासी नहीं की जावेगी, जिस कारण से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4	The instant mine has been proposed to be worked upon by mechanized mining with implementation of Open-cast technology. Therefore, the status of muck disposal plan shall be submitted along with relevant details.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना से निकला हुआ मलबा को निजी भूमि क्रय कर राजस्व क्षेत्र में डम्प किया जावेगा। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त वनक्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जावेगा।
5	Complete copy of an approved mining plan needs submission. The State Govt. shall also ensure that the land-use as proposed in the proposal shall invariably commensurate with the land-use as given in the approved mining plan. A comparative analysis shall be provided in this regard	आवेदक संस्थान द्वारा स्वीकृति खनन योजना की प्रति संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र में खनन का कार्य माइनिंग प्लान अनुसार किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक संस्थान वचनबद्व है।

Office ... date 02.04.2024 all

6	The State Govt. has not informed as to how much area of the proposed NFL (village wise/ patch wise) for raising compensatory afforestation is having specified density as per the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. Moreover, the State shall also ensure that the area (NFL) proposed for CA is suitable for raising Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 and the crop improvement programme of the forest crop in the NFL proposed for CA shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम –13 के अनुसार ग्राम मरदमन में एक ही पैच में 2.21 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसका घनत्व 0.2 है एवं प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि एवं डबल डिग्रेटेड वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भी प्रस्तावित है।
7	Para ., 2, Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 says that "Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account". Keeping this in view, the KML file of the Degraded forest land which is twice in size of such shortfall in the compensatory afforestation land needs to be submitted (if applicable) along with Maps, CA scheme, Site suitability certificate etc.	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम –13 के पैरा 2 अनुसार प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की जानकारी के.एम.एल फाइल, जियो रिफरेंश सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा तैयार कर अपलोड़ कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है, साथ ही वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा दोगुने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल की ओर प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्व है।
8	The number of project affected trees need to be reconfirmed by the State. It may also be clarified whether the tree enumerations have been done as per actual standing trees on ground or through sampling method or by adopting any other method.	वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 में प्रस्तावित क्षेत्र 2.21 हेक्टेयर भूमि को मौके से जाकर गणना की गई है, गणना पत्रक अनुसार 27 नग अन्य प्रजाति के वृक्ष मौके पर मौजूद है। छायाप्रति प्रति संलग्न है।
9	The State Govt. in the Part-II form reported that the proposed forest land is not prone to soil erosion whereas as depicted through satellite imagery the lease is situated at hilly terrain. Therefore, factual details in this regard needs submission along with the mitigation plan/ Soil Erosion Treatment Plan duly approved by the DCF concerned to choke the soil erosion.	प्रस्तावित क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र होने के कारण मिट्टी का कटाव होना असम्भव है। इसके उपरांत भी आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
10	The forest land proposed for diversion is located in Rewa District whereas the land proposed CA has been proposed in the Sagar District. Thus, the land for diversion is situated at an aerial distance of approximately 348 Km away from the land for CA. The State Govt. shall ensure that whether the Para 2.2 (xiii) of Chapter-2 given in the consolidated Handbook of Guidelines issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardha) Rules-2023 has been followed while selecting the land proposed for CA or otherwise.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि वनमण्डल दक्षिणं सागर में प्रदाय की गई है एवं डबल डिग्रेटेड वैकल्पिक वनमण्डल सिंगरौली में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।
11	The KML files indicating the different components of the projects like safety zone/ Green belt, Infrastructure, OB dump etc shall be submitted along with land use map. The component wise details of the proposed forest land shall also be updated on the PARIVESH portal.	आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन/ग्रीन बेल्ट 7.5 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ तैयार किया जाएगा, जिसे के.एम.एल. फाइल में दर्शाया गया है। (मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है) जैसी बुनियादी ढांचे संबंधी जानकारी ऑन लाइन परिवेश पोर्टल में दर्ज कर दी गई है।
12	DSS analysis revealed that the user agency has uploaded incorrect KML file of the Non-forest land proposed for CA because the part of the proposed CA land is partly falling in forest compartment. Further, a transmission line is	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि की संशोधित के.एम.एल. फाइल ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में अपलोड़ कर दी गई है।

	crossing the CA land at PF-603	
13	DSS analysis revealed that the an area of 0.0136 ha forest land proposed for Approach Access has been found broken as depicted through historical data available on the Google imagery. This needs clarification.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वनभूमि में प्रस्ताव में संशोधित कर के.एम.एल. फाइल ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में अपलोड़ कर दी गई है।
14	The APCCF & Nodal officer, Govt. of Madhya Pradesh in their covering letter reported that the instant proposal is for establishment of crushing plant instead of mining. This needs clarification. The State shall also ensure that the forest land cannot be diverted for any non-site specific activities.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि प्रमाणित किया जाता है प्रभावित वनभूमि में खनन का कार्य किया जावेगा, अन्य कोई गतिविधि नहीं की जावेगी, जिसके पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्व है।
15	The State Govt. recommended the proposal for diversion of 2.21 ha forest land whereas the user agency has submitted component wise break-up details of 2.2236 ha forest land. Further, the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh reveals that the project involves 3.4 ha area out of which 2.80 ha is forest land. The complete proposal along with convincing justification in this regard needs submission. The corresponding area details shall also be updated on PARIVESH along with maps, KML files etc.	प्रकरण में प्रस्तावित वनभूमि 3.4 हेक्टेयर का आवेदन किया गया था, जिसमें जॉच उपरांत 2.80 वनभूमि पाई गई। दिनांक 31.07.2022 को पुनः प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पर मौके पर उपलब्ध भूमि 2.21 हेक्टेयर ही पाई गई है, जिसका मौका पंचनामा, के.एम.एल. फाइल मौका पंचनामा की प्रति संलग्न है।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(लोकेश निरापुरे भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र. / मा.चि. / 4405 रीवा, दिनांक / 15.05.2025

प्रतिलिपि :— मुख्य वन संरक्षक रीवां, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

GST NO- 06CMPDD7021F1Z9 9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

प्रति

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल रीवा (म.प्र.)

बिषयः– वन मण्डल रीवा के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 के रकवा 2.21 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स हुड्डा भिवानी हरियाणा को उपयोग पर देने बावत् ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/152429/2022

संदर्भ :– आपका पत्र/मा.चि./3502 दिनांक 17.04.2025 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन भवन तुलसी नगर भोपाल का पृष्ठांकन क्रमांक/एफ–1/835/2022/10–11/1148 दिनांक 08.04.2025

-----::0::-----

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल एवं आपके संदर्भित पत्र से बिन्दुवार जानकारी चाही गई थी जिसे बिन्दुवार तैयार कर श्रीमान जी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	The State Govt. shall clarify whether the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh is still valid as on date or otherwise.	कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा/मऊगंज के पत्र क्रमांक/307/खनिज/2024 दिनांक 20.11.2024 से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसकी अवधि 31.01.2026 तक वैध है। छायाप्रति संलग्न है।
2	Details of mineral evacuation plan and how the requirements of electricity and water will be met shall be submitted. The detail of additional forest land (if any) required for the purpose shall also be submitted.	खनिज निकासी का कार्य यांत्रिकीय विधि से किया जावेगा, खनिज उत्खनन हेतु बिजली की आवश्यकता नगन्य है एवं पानी की पूर्ति हेतु टैंकर के माध्यम से की जावेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
3	The user agency in Part-I form reported that the Project aoes not requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 (Environmental clearance) whereas the instant project is for mining. A clarification in this regard needs submission.	आवेदक संस्थान द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण से रोकथमन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा, के.एम.एल. फाइल में उक्त क्षेत्र को दर्शाया गया है, एवं धूल की रोकथाम हेतु समय–समय पर पानी का छिड़काव टंकरों द्वारा किया जावेगा। साथ ही जल की निकासी नहीं की जावेगी, जिस कारण से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4	The instant mine has been proposed to be worked upon by mechanized mining with implementation of Open-cast technology. Therefore, the status of muck disposal plan shall be submitted along with relevant details.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना से निकला हुआ मलबा को निजी भूमि क्रय कर राजस्व क्षेत्र में डम्प किया जावेगा। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त वनक्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जावेगा।
5	Complete copy of an approved mining plan needs submission. The State Govt. shall also ensure that the land-use as proposed in the proposal shall invariably commensurate with the land-use as given in the approved mining plan. A comparative analysis shall be provided in	स्वीकृति खनन योजना की प्रति संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र में खनन का कार्य माइनिंग प्लान अनुसार किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।

4862 15.05.25

	this regard	
6	The State Govt. has not informed as to how much area of the proposed NFL (village wise/ patch wise) for raising compensatory afforestation is having specified density as per the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. Moreover, the State shall also ensure that the area (NFL) proposed for CA is suitable for raising Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 and the crop improvement programme of the forest crop in the NFL proposed for CA shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम –13 के अनुसार ग्राम [illegible] में एक ही पैच में 2.21 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसका घनत्व 0.2 है एवं प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि एवं डबल डिग्रेटेड वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भी प्रस्तावित है।
7	Para 2, Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 says that "Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account". Keeping this in view, the KML file of the Degraded forest land which is twice in size of such shortfall in the compensatory afforestation land needs to be submitted (if applicable) along with Maps, CA scheme, Site suitability certificate etc.	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम –13 के पैरा 2 अनुसार प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की जानकारी के.एम.एल फाइल, जियो रिफरेंश सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा तैयार कर अपलोड़ कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है, साथ ही वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा दोगुने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल की ओर प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्व है।
8	The number of project affected trees need to be reconfirmed by the State. It may also be clarified whether the tree enumerations have been done as per actual standing trees on ground or through sampling method or by adopting any other method.	वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 में प्रस्तावित क्षेत्र 2.21 हेक्टेयर भूमि को मौके से जाकर गणना की गई है, गणना पत्रक अनुसार 27 नग अन्य प्रजाति के वृक्ष मौके पर मौजूद है। छायाप्रति प्रति संलग्न है।
9	The State Govt. in the Part-II form reported that the proposed forest land is not prone to soil erosion whereas as depicted through satellite imagery the lease is situated at hilly terrain. Therefore, factual details in this regard needs submission along with the mitigation plan/ Soil Erosion Treatment Plan duly approved by the DCF concerned to choke the soil erosion.	प्रस्तावित क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र होने के कारण मिट्टी का कटाव होना असम्भव है। इसके उपरांत भी आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
10	The forest land proposed for diversion is located in Rewa District whereas the land proposed CA has been proposed in the Sagar District. Thus, the land for diversion is situated at an aerial distance of approximately 348 Km away from the land for CA. The State Govt. shall ensure that whether the Para 2.2 (xiii) of Chapter-2 given in the consolidated Handbook of Guidelines issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardha) Rules-2023 has been followed while selecting the land proposed for CA or otherwise.	भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि वनमण्डल दक्षिण सागर एवं डबल डिग्रेटेड वनमण्डल सिंगरौली में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।
11	The KML files indicating the different components of the projects like safety zone/ Green belt, Infrastructure, OB dump etc shall be submitted along with land use map. The component wise details of the proposed forest land shall also be updated on the PARIVESH portal.	आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन/ग्रीन बेल्ट 7.5 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ तैयार किया जाएगा, जिसे के.एम.एल. फाइल में दर्शाया गया है। (मानचित्र की छायाप्रति संलग्न

		है) जैसी बुनियादी ढांचे संबंधी जानकारी ऑन लाइन परिवेश पोर्टल में दर्ज कर दी गई है।
12	DSS analysis revealed that the user agency has uploaded incorrect KML file of the Non-forest land proposed for CA because the part of the proposed CA land is partly falling in forest compartment. Further, a transmission line is crossing the CA land at PF-603	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि की संशोधित के.एम.एल. फाइल ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में अपलोड़ कर दी गई है।
13	DSS analysis revealed that the an area of 0.0136 ha forest land proposed for Approach Access has been found broken as depicted through historical data available on the Google imagery. This needs clarification.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वनभूमि में प्रस्ताव में संशोधित कर के.एम.एल. फाइल ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में अपलोड़ कर दी गई है।
14	The APCCF & Nodal officer, Govt. of Madhya Pradesh in their covering letter reported that the instant proposal is for establishment of crushing plant instead of mining. This needs clarification. The State shall also ensure that the forest land cannot be diverted for any non-site specific activities.	प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान प्रभावित वनभूमि में खनन का कार्य किया जावेगा, अन्य कोई गतिविधि नहीं की जावेगी, जिसके पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्व है।
15	The State Govt. recommended the proposal for diversion of 2.21 ha forest land whereas the user agency has submitted component wise break-up details of 2.2236 ha forest land. Further, the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh reveals that the project involves 3.4 ha area out of which 2.80 ha is forest land. The complete proposal along with convincing justification in this regard needs submission. The corresponding area details shall also be updated on PARIVESH along with maps, KML files etc.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वनभूमि 3.4 हेक्टेयर का आवेदन किया गया था, जिसमें जॉच उपरांत 2.80 वनभूमि पाई गई। दिनांक 31.07.2022 को प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पर मौके पर उपलब्ध भूमि 2.21 हेक्टेयर ही पाई गई है, जिसका मौका पंचनामा, के.एम.एल. फाइल संलग्न है।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महराज
स्टोन्स
(ललित पंघाल)
Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
प्रोपराइटर
म.प. 975/76 सेक्टर, 13 हुड्डा भिवानी
PROPRIETOR
हरियाणा

स्थल निरीक्षण मौका पंचनामा — स्थान - हर्रई प्रताप सिंह (2)

दिनांक- 31/07/2022

हम पंचगण अधोहस्ताक्षरकर्ता यह तस्दीक करते है कि आज दिनांक 31/7/2022 श्री मान वन परिक्षेत्राधिकारी महोदय-हनुमना के पत्र क्रमांक/स्था०/507 दिनांक 21/7/2022 से प्राप्त पत्रावली के अनुसार आवेदक श्री ललित पंघाल प्रो. स्वामी नित्यानन्द महाराज स्टोन हाउस - 975/76 सेक्टर-13 हुडा भिवानी, हरियाणा द्वारा ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंबर-677/2 के में वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अंतर्गत खनिज पत्थर उत्खनन हेतु रकबा-2.80 हे० (जी.पी.एस. रीडिंग (1) N-24°35'8.360" E-82°0'23.678" (2) N-24°35'13.003" E-82°0'27.096" (3) N-24°35'15.340" E-82°0'32.540" (4) N-24°35'15.607" E-82°0'34.858" (5) N-24°35'10.911" E-82°0'30.950" (6) N-24°35'6.519" E-82°0'24.950") स्थल मौका निरीक्षण में प्रस्तावित प्रस्तावित क्षेत्र का स्थल मौका निरीक्षण किया गया / स्थल मौका निरीक्षण में प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र से बीट हर्रई प्रताप सिंह के कक्ष क्रमांक P.F-399 की सीमा में मौके पर स्थित मुनारा क्रमांक (1) N-24°35'7.941" E-82°0'26.204" (2) N-24°35'13.100" E-82°0'27.100" (3) N-24°35'15.684" E-82°0'35.568" रीडिंग के आधार पर प्रभावित होने वाली वन-भूमि की जी.पी.एस. रीडिंग (1) N-24°35'7.941" E-82°0'26.204" (2) N-24°35'13.003" E-82°0'27.096" (3) N-24°35'15.400" E-82°0'34.671" (4) N-24°35'10.911" E-82°0'30.950" (5) N-24°35'7.005" E-82°0'24.603" है, जिसका (6) N-24°35'6.519" E-82°0'24.950" रकबा-2.21 हे० है। क्षेत्र का विस्तार अधिकतम लम्बाई-386 मी., चौड़ाई-126 मी. में है तथा वन भूमि की साइट क्वालिटी V_B एवं क्षेत्र का घनत्व 0.2 है। प्रभावित होने वाली वन-भूमि क्षेत्र अन्तर्गत स्थित वृक्षों की मार्किंग कर प्रजातिवार मार्किंग-सूची पृथक से तैयार की गई है। प्रस्तावित क्षेत्र अन्तर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि का मौके से सत्यापन करते हुए मौका पंचनामा लेख किया गया / पंचनामा पढ़-सुनकर सही पाया, पुष्टि हेतु अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

पंचनामा मेरे द्वारा लेख किया गया।

Rishu 31/07/2022
(राकेश कुमार मिश्र व.र.
बीटगार्ड - पूर्वी बिछीघाट)

31/7/2022
प. स. - पिपराही

लौलेन्द्र पिपराही

31/7/2022
गोपाल कोल
वन रक्षक
बीट हर्रई प्रताप सिंह

रवीन्द्र पिपराही

नेपाल - बैलामहुआ

हरिप्रसाद द्विवेदी

रामबहोर कोल

R.O. Hanumana

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र हनुमना, वन मण्डल सा0 रीवा (म0प्र0)
E-mail ID --- Rothanumana@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./639 हनुमना, दिनांक/15/09/2022
प्रति,

वन मण्डलाधिकारी महोदय,
वन मण्डल सा0 रीवा म0प्र0

द्वारा – उप वन मण्डलाधिकारी महोदय, मऊगंज

विषयः– वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत रीवा जिले में ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर वनभूमि में अनुमति प्रदाय वावत्। प्रकरण नंवर **PF/MP/MIS/152429/2022**

संदर्भः– वन मण्डलाधिकारी महोदय रीवा का पत्र क्रमांक/मा.चि./6421, दिनांक/25.07.2022 एवं पत्र क्रमांक/मा.चि./8267, दिनांक 15.09.2022

1218
16/09/22

——::00::——

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार विषयांकित प्रकरण नंवर **PF/MP/MIS/152429/2022** ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु प्रस्तावित वनभूमि रकवा 2.80 हेक्टेयर का मौके से आवेदक (श्री ललित पंघाल प्रो. स्वामी नित्यानन्द महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर 13 हुदद भवानी हरियाणा) की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण कराया गया। बीट हरई प्रताप सिंह के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 में प्रस्तावित वनभूमि में से प्रभावित वन भूमि रकवा 2.21 हे. में स्थित वृक्षो की गणना कराकर मार्किंग सूची, गोशवारा, अनुमानित उत्पादन, अपसेट प्राईज तथा अनुमानित विदोहन व्यय का प्राक्कलन तैयार किया गया। विवरण निम्नानुसार है।

1. प्रस्तावित क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र का विवरण –

परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	लम्बाई मी. में	चौड़ाई मी. में	क्षेत्रफल हे0 में	साईट क्वालिटी एवं क्षेत्र का घनत्व	पाई जाने वाली प्रजाति	
						लोकल नाम	वैज्ञानिक नाम
हनुमना	PF 399	386	126	2.21	VB/0.2	नीम	अजाडिरिक्टा इंडिका
						चिरौल	होलोण्टेलिया इंटिग्रिफोलिया
						ममरी	
						सेंधा	लेगर स्ट्रोमिया
						बरूल	फाईकस
						पलास	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
						तेन्दू	डायस पायरस मेलानोक्सिलोन
						आम	मैंगीफेरा इंडिका
	योग –	386	126	2.21			

2- प्रभावित वनक्षेत्र अंतर्गत स्थित वृक्षो की संख्या

1) मार्किंग सूची – संलग्न है। पाए गए वृक्षो का विवरण निम्नानुसार है।

2) गोशवारा

प्रस्तुत किया
16/09/22

कक्ष क्रमांक	प्रजाति		31-60	61-90	91-120	121-150	151 के उपर	योग
	लोकल नाम	वैज्ञानिक नाम						
PF 399	नीम	अजाडिरिक्टा इंडिका	1	0	0	1	0	2
	चिरौल	होलोण्टेलिया इंटिग्रिफोलिया	0	0	0	1	0	1
	ममरी		0	0	1	0	0	1
	सेंधा	लेगर स्ट्रोमिया	10	6	3	0	0	19
	बरूल	फाईकस	0	0	0	0	1	1
	पलास	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा	0	0	1	0	0	1
	तेन्दू	डायस पायरस मेलानोक्सिलोन	0	1	0	0	0	1
	आम	मैंगीफेरा इंडिका	1	0	0	0	0	1
	योग –		12	7	5	2	1	27

3) अनुमानित उत्पादन – अपसेट प्राईज संलग्न है।

4) अनुमानित विदोहन व्यय – संलग्न है।

5) लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित पैरामीटर के अनुसार काष्ट बेलीफिट एनालिसिस – संलग्न है।

3. वनक्षेत्र में प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर का मौके से वन मानचित्र में दर्शाया जाकर तुलनात्मक विवरण संबंधी प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो सत्यापित कर संलग्न है।
4. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर वनक्षेत्र के उपयोग का न्यूनतम एवं आवश्यक होने का प्रमाण–पत्र यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो सत्यापित कर संलग्न है।
5. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर को वन मानचित्र/मैप 1:15000, 1:50000 नक्से में मार्क किया जाकर हार्ड कॉपी पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो सत्यापित कर संलग्न है।
6. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर के आस–पास कोई अभ्यारण स्थित नही हैं।
7. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर अंतर्गत स्वीकृत/वितरित/प्रस्तावित वनाधिकार हक प्रमाण–पत्र आवंटित नही किया गया है।
8. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर के बदले दुगने विगडे वनक्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण कराने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार का यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 28 जून 2022 के पेज नंवर 13 प्वाइंट 11 के पैरा 03 के अनुसार उक्त वनभूमि के बदले गैर वनभूमि वन मण्डल दक्षिण सागर में वन मण्डलाधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./06/2022/2374 दिनांक 08.07.2022 द्वारा दी जा रही है जो सत्यापित कर संलग्न है।
9. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर वनभूमि के संबंध में कलेक्टर रीवा का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र पूर्व में ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा रीवा के पत्र क्रमांक 2939 दिनांक 11.10.2021 के अनुसार सैद्धांतिक स्वकीकृति जारी की गई है। संबंधित अभिलेख भाग एक में ही पूर्व में दर्शाये गये है जिसका यूजर एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सत्यापित कर संलग्न है।
10. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर के आस–पास राजस्व क्षेत्र में खसरा नंवर 677/1क, 677/1ख, 677/3 683/1क, 683/1ख, 684/1 रकवा 9.5 एकड में मेंसर्स प्रताप इन्फ्राबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर पंकज सिंह अत्मज श्री एम.डी. सिंह की स्वीकृत लीज उत्तर, पश्चिम दिशा में संचालित है।

उक्त बिन्दुओ की जानकारी संकलित कर संलग्न मय सहपत्रो सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार पेज नंवर 01 से 18 तक

(नयन तिवारी)
वन परिक्षेत्राधिकारी,
वन परिक्षेत्र हनुमना

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र हनुमना, वन मण्डल सा0 रीवा (म0प्र0)

E-mail ID --- Rothanumana@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./639 हनुमना, दिनांक/15/09/2022

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी महोदय,
वन मण्डल सा0 रीवा म0प्र0

द्वारा – उप वन मण्डलाधिकारी महोदय, मऊगंज

विषयः– वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत रीवा जिले में ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर वनभूमि में अनुमति प्रदाय वावत्। प्रकरण नंवर **PF/MP/MIS/152429/2022**

संदर्भः– वन मण्डलाधिकारी महोदय रीवा का पत्र क्रमांक/मा.चि./6421, दिनांक/25.07.2022 एवं पत्र क्रमांक/मा.चि./8267, दिनांक 15.09.2022

——::00::——

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार विषयांकित प्रकरण नंवर **PF/MP/MIS/152429/2022** ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु प्रस्तावित वनभूमि रकवा 2.80 हेक्टेयर का मौके से आवेदक (श्री ललित पंघाल प्रो. स्वामी नित्यानन्द महाराज स्टोन हाउस 975/76 सेक्टर 13 हुदद भवानी हरियाणा) की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण कराया गया। बीट हरई प्रताप सिंह के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 में प्रस्तावित वनभूमि में से प्रभावित वन भूमि रकवा 2.21 हे. में स्थित वृक्षो की गणना कराकर मार्किंग सूची, गोशवारा, अनुमानित उत्पादन, अपसेट प्राईज तथा अनुमानित विदोहन व्यय का प्राक्कलन तैयार किया गया। विवरण निम्नानुसार है।

1. प्रस्तावित क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र का विवरण –

परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	लम्बाई मी. में	चौड़ाई मी. में	क्षेत्रफल हे0 में	साईट क्वालिटी एवं क्षेत्र का घनत्व	पाई जाने वाली प्रजाति	
						लोकल नाम	वैज्ञानिक नाम
हनुमना	PF 399	386	126	2.21	VB/0.2	नीम	अजाडिरिक्टा इंडिका
						चिरौल	होलोण्टेलिया इंटिग्रिफोलिया
						ममरी	
						सेंधा	लेगर स्ट्रोमिया
						बरूल	फाईकस
						पलास	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
						तेन्दू	डायस पायरस मेलानोक्सिलोन
						आम	मैंगीफेरा इंडिका
	योग –	386	126	2.21			

2- प्रभावित वनक्षेत्र अंतर्गत स्थित वृक्षो की संख्या

1) मार्किंग सूची – संलग्न है। पाए गए वृक्षो का विवरण निम्नानुसार है।

2) गोशवारा

कक्ष क्रमांक	प्रजाति		31-60	61-90	91-120	121-150	151 के उपर	योग
	लोकल नाम	वैज्ञानिक नाम						
PF 399	नीम	अजाडिरिक्टा इंडिका	1	0	0	1	0	2
	चिरौल	होलोण्टेलिया इंटिग्रिफोलिया	0	0	0	1	0	1
	ममरी		0	0	1	0	0	1
	सेंधा	लेगर स्ट्रोमिया	10	6	3	0	0	19
	बरूल	फाईकस	0	0	0	0	1	1
	पलास	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा	0	0	1	0	0	1
	तेन्दू	डायस पायरस मेलानोक्सिलोन	0	1	0	0	0	1
	आम	मैंगीफेरा इंडिका	1	0	0	0	0	1
	योग –		12	7	5	2	1	27

3) अनुमानित उत्पादन – अपसेट प्राईज संलग्न है।

4) अनुमानित विदोहन व्यय – संलग्न है।

5) लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित पैरामीटर के अनुसार काष्ट बेलीफिट एनालिसिस – संलग्न है।

3. वनक्षेत्र में प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर का मौके से वन मानचित्र में दर्शाया जाकर तुलनात्मक विवरण संबंधी प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो सत्यापित कर संलग्न है।

4. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर वनक्षेत्र के उपयोग का न्यूनतम एवं आवश्यक होने का प्रमाण–पत्र यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो सत्यापित कर संलग्न है।

5. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर को वन मानचित्र/मैप 1:15000, 1:50000 नक्से में मार्क किया जाकर हार्ड कॉपी पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो सत्यापित कर संलग्न है।

6. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर के आस–पास कोई अभ्यारण स्थित नही हैं।

7. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर अंतर्गत स्वीकृत/वितरित/प्रस्तावित वनाधिकार हक प्रमाण–पत्र आवंटित नही किया गया है।

8. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर के बदले दुगने विगडे वनक्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण कराने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार का यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 28 जून 2022 के पेज नंवर 13 प्वाइंट 11 के पैरा 03 के अनुसार उक्त वनभूमि के बदले गैर वनभूमि वन मण्डल दक्षिण सागर में वन मण्डलाधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./06/2022/2374 दिनांक 08.07.2022 द्वारा दी जा रही है जो सत्यापित कर संलग्न है।

9. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर वनभूमि के संबंध में कलेक्टर रीवा का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र पूर्व में ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा रीवा के पत्र क्रमांक 2939 दिनांक 11.10.2021 के अनुसार सैद्धांतिक स्वकीकृति जारी की गई है। संबंधित अभिलेख भाग एक में ही पूर्व में दर्शाये गये है जिसका यूजर एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सत्यापित कर संलग्न है।

10. प्रस्तावित ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि खसरा नंवर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन् हेतु 2.80 हेक्टेयर में से प्रभावित वनभूमि रकवा 2.21 हेक्टेयर के आस–पास राजस्व क्षेत्र में खसरा नंवर 677/1क, 677/1ख, 677/3 683/1क, 683/1ख, 684/1 रकवा 9.5 एकड में मेंसर्स प्रताप इन्फाबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर पंकज सिंह अत्मज श्री एम.डी. सिंह की स्वीकृत लीज उत्तर, पश्चिम दिशा में संचालित है।

उक्त बिन्दुओ की जानकारी संकलित कर संलग्न मय सहपत्रो सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार पेज नंवर 01 से 18 तक

(नयन तिवारी)
वन परिक्षेत्राधिकारी,
वन परिक्षेत्र हनुमना

2

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज (म.प्र.)

E-mail:- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक / 313 / खनिज / 2024 मऊगंज, दिनांक २०-११-२४

प्रति

मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स,
प्रो. श्री ललित पंघाल
निवासी मकान नंबर 975 / 76 सेक्टर 13,
हुड्डा भिवानी, हरियाणा

विषय :— ग्राम सरदमन तहसील हनुमना जिला रीवा के खसरा नं. 677 / 2क पी. (वन भूमि) रकवा 03.400 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) का उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र क्रमांक 781 दिनांक 18.12.2020 के निराकरण विषयक ।

संदर्भ :— 1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 444 / खनिज / 2021 रीवा, दिनांक 11.01.2021 एवं पत्र क्रमांक 5939 / खनिज / 2021 रीवा, दिनांक 11.10.2021
2. आपका पत्र दिनांक 01.02.2024 एवं 14.11.2024.

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा ग्राम सरदमन तहसील हनुमना जिला रीवा के खसरा नं. 677 / 2क पी. (वन भूमि) रकवा 03.400 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र 10 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 11.12.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था।

वन मण्डलाधिकारी रीवा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि है जो कि खसरा नं. 677 / 2क पी. (वन भूमि) के अंतर्गत है। प्रकरण में आवश्यक परीक्षण उपरांत प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर रीवा जिले के ग्राम सरदमन तहसील हनुमना खसरा नं. 677 / 2क पी. (वन भूमि) रकवा 03.400 हे० में से उपलब्ध रकवा 02.800 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर सैद्धान्तिक सहमति संदर्भित पत्र दिनांक 11.01.2021 एवं 11.10.2021 द्वारा प्रदान की गई थी।

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक से 31.01.2026 तक की अवधि के अंदर अनुमोदित खनन योजना इस कार्यालय में उपलब्ध करावें। अनुमोदित खनन योजना एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन विभाग के अनुमति प्राप्त कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात् ही उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये जा सकेंगे।
(कलेक्टर महो० द्वारा अनुमोदित्त)

उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला रीवा (म०प्र०)

लय तहसीलदार तहसील–हनुमना जिला–रीवा (म0प्र0)

431 / प्रवा0 / 2020 हनुमना,दिनांक 26.12.2020

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला–रीवा (म0प्र0)

य:– ग्राम सरदमन की आराजी कमांक 677/2/क रकवा 03.400 हे0 उत्खनि क्षेत्र में पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिंदु का जांच प्रतिवेदन।

दर्भ:– कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा का पत्र कमांक 5404/खनिज/2020 रीवा दिनांक 18/12/2020 ।

––00––

विषयांन्तर्गत ग्राम सरदमन की आराजी कमांक 677/2/क रकवा 03.400 हे0 में उत्खनि क्षेत्र में पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिंदु पर जांच राजस्व निरीक्षक पिपराही/हल्का पटवारी सरदमन से कराई गई। राजस्व निरीक्षक पिपराही/हल्का पटवारी सरदमन द्वारा मौके से जांच की जाकर पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिंदु का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संलग्न राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित भू–खण्ड के 10 कि0मी0 की परिधि में कोई नेशनल पार्क व अभ्यारण्य नही तथा मानव बसाहट नही है। प्रस्तावित भू–खण्ड में शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व नदी तालाब नही है तथा प्रस्तावित भू–खण्ड वन भूमि है।

अतः पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिंदु का जांच प्रतिवेदन सहपत्रों सहित सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार
तहसील हनुमना
जिला रीवा (म0प्र0)